गांवों का विद्युतीकरण

विद्युतीकरण की

पुरानी परिभाषा :–किसी भी गांव को विद्युतीकृत मान लिया जायेगा यदि उसके राजस्व क्षेत्र में किसी भी श्रेणी के कनेक्शन के लिए विद्युत तंत्र स्थापित कर दिया गया है।

– ***पुरानी परिभाषा से दिनांक 31.03.2004 को 38515 गांव (97.95*** प्रतिशत) विद्युतीकृत थे।

नई परिभाषा :– कोई भी गांव तब ही विद्युतीकृत घोषित किया जायेगा यदि

1 उस गांव के कुल आबाद घरों के कम से कम 10 प्रतिशत घरों में विद्युत उपलब्ध हो।

2 आधारभूत तंत्र तथा वितरण विद्युत लाईन व ट्रांसफार्मर गांव की आबादी में/ दलित बस्ती /ढाणी (यथा स्थिति जो भी हो) में स्थापित हो। (गैर परम्परागत स्त्रोत से विद्युतीकरण के मामले मे वितरण ट्रांसफार्मर की अनिवार्यता नहीं)

3 सार्वजनिक स्थान यथा स्कूल, पंचायत कार्यालय, स्वास्थ्य केन्द्र चिकित्सालय, सामुदायिक विकास केन्द्र आदि में विद्युत उपलब्ध हो।

गांवों के विद्युतीकरण का विवरण

- 2001 की जनगणना के अनुसार राजस्थान मे कुल गांव 41353
  - गैर आबादी के गांव 1600
  - अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा विद्युतीकृत किये जाने वाले गांव 432
- **विद्युत तंत्र से कुल विद्युतीकृत किये जाने वाले गांव 39,321**
- 31.3.2004 को विद्युतीकृत गांवों की स्थिति
  - नई परिभाषा से विद्युतीकृत गांव 25,685 (65.32 प्रतिशत)
- नई परिभाषा से शेष अविद्युतीकृत गांव **13636**
  - गांवों का विवरण जिनमें विद्युत वितरण निगमों के द्वारा राजीव गांधी ग्रामीण ***विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत विद्युतीकरण किया जाना है :–***

1.	अविद्युतीकृत गांव	808
2.	अविद्युतीकृत घोषित गांव	3681
	कुल अविद्युतीकृत गांव	**4489**
3.	विद्युतीकरण की नई परिभाषा के अनुसार अविद्युतीकृत घोषित	9147
	कुल अविद्युतीकृत गांव	**13636**

– राजीवगांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत ***31.10.2012*** तक 37954 गांव विद्युतिकृत है।